



रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

तहसीलदारी

निवेदन है कि प्राचीन नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल पारीक का नाम ग्राहक
नाहरी की भारती नं० 1089 रकबा 2.16 हेक्टर में रजिस्टर्ड विद्यम-पत्र के तहत
कृषि की गई उसमें नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल पारीक 1/2 विद्यम-पत्र अउर 1/2 विद्यम-पत्र
प्राचीन के भाधारक व अन्य दस्तावेज में नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल पारीक का नाम
प्राचीन नन्दुदेवी के बजाय अपना नाम नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल पारीक करवाना
चाहती है रिपोर्ट भीमान की सेवा में पेश है।

8/10/21
पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी व संलग्न दस्तावेज अनुसार
आवेदिका द्वारा भूमि कृषि की गई जिन दस्तावेजों में
केती द्वारा नाम नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल पारीक के
नाम कृषि की है। अब प्राचीन नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल
करवाना चाहती है। अतः भूमि की पत्ताई सादर अनुमति है।

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.) रायपुर
जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

क/प्र. गा.स.अ.नि/2021/के.प्र.नाहरी/11/21

दि 8/10/21

तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर
प्राचीन नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल पारीक का नाम ग्राहक नाहरी भा.न
1089 रकबा 2.16 हेक्टर रजिस्टर्ड दस्तावेज तहत कृषि की गई दस्तावेज
अनुसार प्राचीन नन्दुदेवी के बजाय नन्दुदेवी वा० शान्तीलाल
पारीक का-देह का दस्तावेज के तहत में दर्ज किया जावे।

8.10.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

